न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16 / 36

1. मोहन सिंह आतमज रूपसिंह राजपूत ।
2. गजराज सिंह आत्मज रूपसिंह राजपूत ।
3. कुलदीप सिंह आत्मज भंवर सिंह राजपूत ।
4. कजोड कंवर बेवा भंवर सिंह राजपूत ।
5. विजय सिंह आत्मज भंवर सिंह राजपूत निवासीगण ग्राम जाखमूण्ड तहसील व जिला बून्दी

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सज्जन कंवर विधवा श्री धनसिंह (मृतक) (नाम तर्क) ।
2. मदन सिंह आत्मज श्री धन सिंह राजपूत ।
3. जसवन्त सिंह आत्मज श्री धनसिंह राजपूत ।
4. गोरधन सिंह आत्मज श्री धनसिंह राजपूत निवासीगण ग्राम जाखमूण्ड तहसील व जिला बून्दी
5. श्रीमती लाल कंवर पुत्री धनसिंह पत्नी दाससिंह राजपूत निवासी बजरिया बाजार सवाईमाधोपुर ।
6. श्रीमती चन्द्र कंवर पुत्री धनसिंह पत्नी मीटूसिंह राजपूत निवासी ग्राम बिरदोड जिला भीलवाडा
7. नाहर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह राजपूत निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील व जिला बून्दी ।
8. श्रीमती हन्स कंवर पुत्री सुल्तान सिंह पत्नी सुधन्न सिंह निवासी ग्राम पारा पोस्ट पारा जिला अजमेर ।
9. श्रीमती शो कंवर पुत्री सुल्तान सिंह पत्नी गजराज सिंह राजपूत निवासी ग्राम जोताया जिला अजमेर ।
10. श्रीमती कल्लू बाई पुत्री सुल्तान सिंह पत्नी शम्भू सिंह राजपूत निवासी ग्राम उनियारा जिला टोंक ।
11. श्रीमती भंवर बाई बेवा भोपाल सिंह राजपूत निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील व जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
12. शम्भू सिंह आत्मज भोपाल सिंह राजपूत ।
13. नरेन्द्र सिंह आत्मज भोपाल सिंह राजपूत ।
    - 13/1. श्रीमती विमलेश कंवर बेवा स्व0 नरेन्द्र सिंह
    - 13/2. भानु प्रताप सिंह आत्मज स्व0 नरेन्द्र सिंह नाबालिग
    - 13/3. रूद्रप्रताप सिंह आत्मज स्व0 नरेन्द्र सिंह नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती विमलेश कंवर राजपूत ।
14. महेन्द्र सिंह आत्मज भोपाल सिंह राजपूत ।
15. राजेन्द्र सिंह आत्मज भोपाल सिंह राजपूत निवासीगण ग्राम जाखमूण्ड तहसील व जिला बून्दी
16. श्रीमती स्वरूप कंवर पुत्री भोपाल सिंह पत्नी महेन्द्र प्रतापसिंह राजपूत निवासी घाणी का फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक ।
17. श्रीमती चन्द्र कंवर पुत्री भोपाल सिंह पत्नी भंवर सिंह राजपूत निवासी सतवाडा जिला टोंक हाल कोटा ।
18. श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री भोपाल सिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह राजपून निवासी सतवाडा जिला टोंक।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

2. सोभाग सिंह आत्मज श्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील व जिला बून्दी ।
3. मोतीसिंह पुत्र फतह सिंह राजपूत निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील व जिला बून्दी । ———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, श्री अभयदेव शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 05.12.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम जाखमूण्ड की आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने तथा वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित करने का निवेदन किया एवं वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण को खातेदार घोषित करने का तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2015 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट के दादा द्वारा अपीलान्ट के दादा के विरूद्ध एक वाद पेश किया था जो खारिज हो गया तथा आराजी खसरा नम्बर 77 के सम्बन्ध में ही तनकी का निर्माण हुआ और उक्त तनकी रेस्पोडेन्ट के दादा के विरूद्ध निर्णित की गई थी तथा बून्दी टीनेन्सी एक्ट की धारा 32 (क,ख, व ग) के तहत रेस्पोडेन्ट के दादा का उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं माना था तथा उनका वाद खारिज किया था जो अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी है । अपीलान्ट ने अपने कथनों की पुष्टि में जो गवाह परिक्षित करवाये हैं उनमें मोहनसिंह आत्मज रूप सिंह, गजराजसिंह आत्मज रूपसिंह, शेरसिंह आत्मज फतहसिंह सोभागसिंह आत्मज मोती सिंह, कजोड कवंर बेवा भंवर सिंह आदि के करवाए तथा उनसे जिरह में गवाह सोभाग सिंह आत्मज मोती सिंह जो कि पीडब्ल्यू –5 है तथा उसकी उम्र 80 है ने अपने कथनों में कहा कि जब बंटवारा हुआ तब मैं मोजूद था बंटवारे पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है क्योकि बंटवारा मौखिक हुआ था इस मौखिक बंटवारे के तथ्य अन्य गवाह भी स्वीकार करते हैं तथा सम्पत्ति का अन्तरण अधिनियम की धारा 09 के अनुसार मौखिक अन्तरण मान्य है कानूनी प्रावधानों को नजर

अन्दाज किया है उक्त अन्तरण, अन्तरणकर्ता तथा अन्तरणग्रहिता द्वारा साबित किया जावेगा उक्त अन्तरण को अपीलान्ट द्वारा अपनी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित कर दिया था । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 का पेश किया था जो सिविल की कार्यवाही चल रही थी वह 76 बीघा 11 बिस्वा पर चल रही है तथा प्रकरण 32/सीलिंग/2878 सरकार बनाम धनसिंह, भोपाल सिंह व सुल्तान सिंह अर्थात रेस्पोडेन्ट के दादा के खिलाफ चल रहा है उक्त कार्यवाही का वादी से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट के दादा द्वारा अपीलान्ट के दादा के विरुद्ध एक वाद पेश किया था जो खारिज हो गया तथा आराजी खसरा नम्बर 77 के सम्बन्ध में ही तनकी का निर्माण हुआ और उक्त तनकी रेस्पोडेन्ट के दादा के विरुद्ध निर्णित की गई थी तथा बून्दी टीनेन्सी एक्ट की धारा 32 (क,ख, व ग) के तहत रेस्पोडेन्ट के दादा का उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं माना था तथा उनका वाद खारिज किया था जो अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया ।

8. अपीलान्ट ने अपने कथनों की पुष्टि में जो गवाह बयान करवाये हैं उनमें मोहनसिंह आत्मज रूप सिंह, गजराजसिंह आत्मज रूपसिंह, शेरसिंह आत्मज फतहसिंह सोभागसिंह आत्मज मोती सिंह, कजोड कवंर बेवा भंवर सिंह आदि के करवाए तथा उनसे जिरह में गवाह सोभाग सिंह आत्मज मोती सिंह जो कि पीडब्ल्यू –5 है तथा उसकी उम्र 80 है ने अपने कथनों में कहा कि जब बंटवारा हुआ तब मैं मोजूद था बंटवारे पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है क्योकि बंटवारा मौखिक हुआ था इस मौखिक बंटवारे के तथ्य अन्य गवाह भी स्वीकार करते हैं तथा सम्पत्ति का अन्तरण अधिनियम की धारा 09 के अनुसार मौखिक अन्तरण मान्य है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज किया है उक्त अन्तरण, अन्तरणकर्ता तथा अन्तरणग्रहिता द्वारा साबित किया जावेगा उक्त अन्तरण को अपीलान्ट द्वारा अपनी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित कर दिया था । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 का पेश किया था जो सिविल की कार्यवाही चल रही थी वह 76 बीघा 11 बिस्वा पर चल रही है तथा प्रकरण 32/सीलिंग/2878 सरकार बनाम धनसिंह, भोपाल सिंह व सुल्तान सिंह अर्थात रेस्पोडेन्ट के दादा के खिलाफ चल रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.11.2015 निरस्त किया जाता है । अपीलान्ट को ग्राम जाखमूण्ड की आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा